पूर्ण बेंच

माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. सी. जैन ए.सी.जे., न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और, न्यायमूर्ति जे.एम. टंडन, के सामने

करनैल सिंह और अन्य, अपीलकर्ता
बनाम
कपूर सिंह और अन्य,-प्रतिवादी।
सीएम में 1977 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 221।
आर.एफ.ए. में 1977 की संख्या 518-सी।
1977 की संख्या 432.
18 फ़रवरी, 1980.

कोर्ट फीस अधिनियम (VII ऑफ 1870) - धारा 7 - सिविल प्रक्रिया संहिता (V ऑफ 1908) - धारा 2(2) और 97 - मोचन के लिए मुकदमा - प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील लंबित - यथामूल्य अदालत शुल्क का भुगतान ऐसी अपील का ज्ञापन - अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील - इस अपील पर देय न्यायालय शुल्क - क्या यथामूल्य - प्रारंभिक डिक्री - क्या पार्टियों के अधिकारों का अंतिम निर्णय - ऐसी डिक्री - क्या अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील में हमला किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया है कि मोचन मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री एक अस्थायी डिक्री नहीं है, जहां तक यह उस डिक्री के पारित होने से संबंधित मामलों से संबंधित है, तब तक निर्णायक रूप से निर्णय लेता है। इसके बाद एक अंतिम डिक्री पारित की जाती है जो फिर से उसमें उठाए गए मामलों पर निर्णायक रूप से निर्णय देती है। यदि कोई पक्ष प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध व्यथित है तो वह अपील करने के लिए बाध्य है, अन्यथा, उसमें तय किए गए मामलों को अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में नहीं उठाया जा सकता है। प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील की विषय-वस्तु अंतिम डिक्री से अलग होनी चाहिए और प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील में उठाया गया कोई भी मुद्दा अंतिम डिक्री में हमले का आधार नहीं बन सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मोचन के लिए एक मुकदमे में, एक प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री से अलग होती है और एक पक्ष, यदि उस डिक्री से पीड़ित कोई अपील पसंद नहीं करता है तो उसमें तय किए गए मामलों पर अंतिम डिक्री के खिलाफ दायर अपील में हमला नहीं किया जा सकता है। हुक्मनामा। (पैरा 7 और 8)

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के प्रावधान और उसके अनुसार सख्ती से निर्णय लिया जाना चाहिए। कोई अन्य विचार चित्र में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि किसी पार्टी द्वारा किसी छूट या क्रेडिट का दावा किया जाता है, तो वह उक्त अधिनियम के कुछ

प्रावधानों के तहत होना चाहिए। न्यायालय शुल्क अधिनियम के तहत कोई लाभ-कहने वाली बातचीत नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अंतिम डिक्री की अपील पर निश्चित न्यायालय शुल्क के भुगतान की गारंटी दे सकता है। यदि वास्तविक अपील वह है जो प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ दायर की गई है, तो अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील की सफलता की स्थिति में, अंतिम डिक्री भी समाप्त हो जाती है। यदि पारित हो गया तो स्वतः ही गिर जाएगा। लेकिन यदि अंतिम डिक्री में कुछ नए मामलों पर फैसला सुनाया गया है, तो एक स्वतंत्र अपील दायर करने की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में अपील के ज्ञापन पर यथामूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान करना नितांत आवश्यक हो जाएगा। प्रारंभिक और अंतिम डिक्री के खिलाफ दायर की गई दो अपीलों में कोई समानता नहीं है और एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर निर्णय सुनाया और निर्णय लिया जाना चाहिए। इस प्रकार, मोचन मुकदमे में पारित अंतिम डिक्री के खिलाफ दायर अपील के ज्ञापन पर यथामूल्य अदालत शुल्क देय होगा, भले ही प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील लंबित हो, जिस पर यथामूल्य अदालत शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो। (पैरा 9, 10 और 13)

बुध राम एवं अन्य बनाम नियामत राय एवं, अन्य ए.आई.आर. 1923, लाहौर 632

खारिज कर दिया गया।

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 28 सितंबर 1979 को माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन और माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया की खंडपीठ द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया। माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.एम. टंडन की बड़ी पीठ ने अंततः 18 फरवरी, 1980 को मामले का फैसला किया।

लेटर्स पेटेंट 5 मई 1977 के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील। माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एन.मित्तल द्वारा सी.एम. में पारित। क्रमांक 518-सी-1 1977 में आर.एफ.ए. 1977 का नंबर 432 कपूर सिंह बनाम करनैल सिंह और अन्य। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 5 मई को स्थगन आदेश की पुष्टि की। 1977.

एच. एल. सरीन. अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. एल. सरीन और आर. एल. सरीन, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से वकील ए.एन.मित्तल।

निर्णय

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन,

(1) इस अपील में निर्धारण के लिए जो प्रश्न आता है, उसे इस प्रकार कहा जा सकता है: -

> "जब प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ दायर अपील, जिस पर यथामूल्य अदालत-शुल्क का भुगतान किया गया है, पर अभी भी निर्णय लंबित है, तो रिडम्प्शन सूट में पारित अंतिम डिक्री के खिलाफ दायर अपील के ज्ञापन पर कौन सा अदालत शुल्क देय होगा?"

(2) विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के क्लॉज एक्स के तहत वर्तमान अपील दायर की गई है, ने बुध राम और अन्य बनाम नियामत राय और अन्य[1] लाहौर उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले के आधार पर फैसला सुनाया है और माना है कि अपील के ऐसे ज्ञापन पर एक निश्चित अदालत-शुल्क देय होगा।

(3) अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एम.एल. सरीन ने विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त निष्कर्ष की सत्यता को यह तर्क देकर चुनौती दी है कि एक डिक्री के खिलाफ अपील दायर की गई है और नागरिक संहिता में कोई प्रावधान नहीं है। प्रक्रिया या कोर्ट-फीस अधिनियम में अंतिम डिक्री के खिलाफ दायर अपील के ज्ञापन पर एक निश्चित कोर्ट-फीस लगाने की अनुमति दी जाती है, जहां प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील पर निर्णय लंबित है। विद्वान वकील ने यह भी कहा कि बुध राम के मामले (सुप्रा) में लिया गया दृष्टिकोण सही कानून नहीं बनाता है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

(4) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री ए.एन. मित्तल ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपने द्वारा उठाए गए रुख को दोहराया।

(5) पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क में काफी ताकत है।

(6) कोर्ट-फीस के प्रश्न से निपटने से पहले, 'डिक्री' शब्द के दायरे को समझना आवश्यक होगा। इस अभिव्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा (2) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -

> "डिक्री" का अर्थ किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, जहां तक न्यायालय द्वारा इसे व्यक्त करने का संबंध है, मुकदमे में विवाद के सभी या किसी भी मामले के संबंध में पार्टियों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है और या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकता है। इसे धारा 144 के अंतर्गत वादपत्र

[1] ए आई आर 1923, लाहौर 632.

की अस्वीकृति और किसी भी प्रश्न के निर्धारण को शामिल माना जाएगा, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा-

(ए) कोई भी न्यायनिर्णयन जिससे अपील या किसी आदेश से अपील के रूप में निहित होती है या

(बी) डिफ़ॉल्ट के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश।

स्पष्टीकरण- एक डिक्री प्रारंभिक होती है जब मुकदमे को पूरी तरह से निपटाने से पहले आगे की कार्यवाही की जानी होती है। यह अंतिम है जब ऐसा निर्णय मुकदमे का पूरी तरह से निपटान कर देता है। यह आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकता है।"

(7) उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक डिक्री भी उक्त परिभाषा के अंतर्गत आती है। संहिता के तहत जिन डिक्री को मान्यता दी जाती है, वे प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री और वादपत्र को खारिज करने वाले आदेश हैं। संहिता के तहत ऐसे मामलों की श्रेणियां हैं जिनमें प्रारंभिक डिक्री पारित करना आवश्यक है और मोचन के लिए मुकदमा उनमें से एक है। ऐसे मुकदमे में, दो चरण होते हैं जब डिक्री पारित की जाती है, यानी, एक प्रारंभिक डिक्री और एक अंतिम डिक्री। मोचन मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री एक अस्थायी डिक्री नहीं है, लेकिन जहां तक यह उस डिक्री के पारित होने से संबंधित मामलों से संबंधित है, निर्णायक रूप से निर्णय लेती है। इसके बाद, एक अंतिम डिक्री पारित की जाती है जो फिर से उसमें उठाए गए मामलों पर निर्णायक रूप से निर्णय देती है। एक पक्ष अपील करने के लिए बाध्य है, यदि वह प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ व्यथित है, अन्यथा, उसमें तय किए गए मामलों को अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील में नहीं उठाया जा सकता है। यह स्थिति संहिता की धारा 97 के प्रावधानों से बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें यह प्रावधान है कि जहां प्रारंभिक डिक्री से व्यथित कोई भी पक्ष ऐसी डिक्री के खिलाफ अपील नहीं करता है, तो उसे किसी भी अपील में इसकी सत्यता पर विवाद करने से रोका जाएगा, जिसे अंतिम डिक्री से प्राथमिकता दी जा सकती है।

(8) यह धारा वर्ष 1908 में अधिनियमित की गई थी। 1882 की पुरानी संहिता के तहत, अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील में प्रारंभिक डिक्री पर आपत्तियां उठाई जा सकती थीं। इसलिए, कानून के तहत, जैसा कि अब है, एक पक्ष को प्रारंभिक डिक्री से अपील दायर करने की आवश्यकता होती है और अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील में उस पर हमला करने के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध अपील की विषय-वस्तु अंतिम डिक्री से भिन्न होनी चाहिए। प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील में उठाया गया कोई भी मुद्दा अंतिम डिक्री में हमले का आधार नहीं बन सकता है। यह

स्थिति वेंकट रेड्डी और अन्य बनाम पेथी रेड्डी[2] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें पृष्ठ 995 पर, यह इस प्रकार देखा गया है: -

> "पारित प्रारंभिक डिक्री, चाहे वह बंधक मुकदमे में हो या विभाजन के मुकदमे में हो, एक अस्थायी डिक्री नहीं है, लेकिन जहां तक इसके द्वारा निपटाए गए मामलों का संबंध है, इसे निर्णायक माना जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन मुकदमों में दो डिक्री, एक प्रारंभिक डिक्री और एक अंतिम डिक्री, बनाने पर विचार किया जाता है, जो डिक्री निष्पादन योग्य होगी वही अंतिम डिक्री होगी। लेकिन किसी डिक्री या निर्णय की अंतिमता आवश्यक रूप से उसके निष्पादन योग्य होने पर निर्भर नहीं करती है। विधायिका ने अपने विवेक से सोचा है कि कुछ प्रकार के मुकदमों का निर्णय चरणों में किया जाना चाहिए और हालांकि ऐसे मामलों में मुकदमे को अंतिम डिक्री के बाद ही पूरी तरह से तय माना जा सकता है, लेकिन अदालत का निर्णय पहले चरण में आया इसके साथ एक अंतिम बात भी जुड़ी हुई है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 97 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जो यह प्रावधान करती है कि जहां प्रारंभिक डिक्री से पीड़ित पक्ष इसके खिलाफ अपील नहीं करता है, उसे किसी भी अपील में इसकी शुद्धता पर विवाद करने से रोका जाता है जिसे अंतिम डिक्री से प्राथमिकता दी जा सकती है। इस प्रकार यह प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इसके अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, एक प्रारंभिक डिक्री को उस डिक्री को पारित करने वाले न्यायालय के अंतिम निर्णय का प्रतीक माना जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि मोचन के लिए एक मुकदमे में, एक प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री से अलग होती है और एक पक्ष, यदि उस डिक्री से व्यथित है, अपील पसंद नहीं करता है, तो उसमें तय है कि अंतिम डिक्री के विरुद्ध अपील दायर किए गए मामलों पर हमला नहीं किया जा सकता है।

(9) उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, अगला प्रश्न जो निर्धारण के लिए उठता है वह यह है कि दो अपीलों पर कितना न्यायालय शुल्क देय होगा, यानी, एक प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ पसंदीदा और दूसरा अंतिम डिक्री के खिलाफ पसंदीदा। शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि कोर्ट फीस के भुगतान का मामला कोर्ट-फी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होता है और सख्ती से उसके अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। कोई अन्य विचार चित्र में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि किसी भी पार्टी द्वारा किसी छूट या क्रेडिट का दावा किया जा सकता है, तो उसे उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत होना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोर्ट-फीस अधिनियम के तहत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अंतिम डिक्री की अपील पर निश्चित कोर्ट फीस के भुगतान की

[2] ए आई आर 1963 एस सी सी 992

गारंटी दे सके। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री मित्तल का तर्क यह था कि अंतिम डिक्री की अपील औपचारिक प्रकृति की होती है और आम तौर पर प्रारंभिक डिक्री की अपील में जो भी चुनौती दी जाती है, उसके अलावा किसी भी चीज का विरोध नहीं किया जाता है, और इस स्थिति में, केवल निश्चित अदालत ऐसी अपील पर शुल्क देय है।

(10) प्रथम दृष्टया यह तर्क अप्राप्य प्रतीत होता है। जैसा कि पहले देखा गया है, कोर्ट फीस के भुगतान का मामला कोर्ट फीस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा सख्ती से नियंत्रित होता है। यदि वास्तविक अपील वह है जो प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ दायर की गई है, तो अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील की सफलता की स्थिति में, अंतिम डिक्री यदि पास कि गई है, अपने आप ही गिर जाएगी। लेकिन यदि अंतिम डिक्री में कुछ नए मामलों पर फैसला सुनाया गया है, तो एक स्वतंत्र अपील दायर करने की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में, अपील के ज्ञापन पर यथामूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान करना नितांत आवश्यक हो जाएगा। प्रारंभिक और अंतिम डिक्री के खिलाफ दायर की गई दो अपीलों में कोई समानता नहीं है और एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर निर्णय सुनाया और निर्णय लिया जाना चाहिए। अदालती शुल्क के भुगतान के मामले में, कठिनाई या कोई नैतिक विचार कभी सामने नहीं आया है। जिस दृष्टिकोण को हम अपनाने के इच्छुक हैं, उसे कोठंडारमन और अन्य बनाम चामगेलपुट के जिला कलेक्टर[3] में मद्रास उच्च न्यायालय और श्रीमती कौशल्या ऋण एवं अन्य बनाम कौलेश्वर सिंह एवं अन्य[4] में पटना उच्च न्यायालय के फैसले से पूरा समर्थन मिलता है। लेकिन बुध राम के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिए, बुध राम के मामले (सुप्रा) में लिए गए दृष्टिकोण पर पुनर्विचार के लिए इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजना आवश्यक हो गया है। नतीजतन, हम निर्देश देते हैं कि इस मामले के कागजात एक बड़ी पीठ के गठन के लिए विद्वान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं।

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन, ए.सी.जे.

(11) हमारा यह निर्णय 28 सितंबर 1979 के संदर्भ आदेश की निरंतरता में पढ़ा जा सकता है।

(12) मामले से निपटते समय, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संदर्भित आदेश में विस्तृत कारण दिए गए हैं कि मोचन मुकदमे में पारित अंतिम डिक्री के खिलाफ दायर अपील

---

[3] ए आई आर 1953 मद्रास 415

[4] ए आई आर 1947 पटना 113

के ज्ञापन पर यथामूल्य अदालत-शुल्क देय होगा, भले ही कोई प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध अपील पर निर्णय अभी भी लंबित है। चूँकि बुध राम और अन्य बनाम नियामत राय और अन्य[5], में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया था, इस मामले का निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा कराना आवश्यक हो गया था और इस तरह हम इस मामले से सहमत हैं।

(13) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। कोई नया तर्क नहीं दिया गया है और उन्हीं बिंदुओं को सामने रखा गया है जिन पर संदर्भ क्रम में विस्तार से विचार किया गया है। संदर्भित आदेश में दिए गए विस्तृत कारणों के लिए, हम खुद को बुध राम के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं और मानते हैं कि मोचन मुकदमे में पारित अंतिम डिक्री के खिलाफ दायर अपील के ज्ञापन पर यथामूल्य अदालत-शुल्क देय होगा। भले ही प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील लंबित हो, जिस पर यथामूल्य अदालत-शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो।

14) उपरोक्त उत्तर के मद्देनजर, हम अपील की अनुमति देते हैं और इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करते हैं। प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं को अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर न्यायालय शुल्क में कमी की भरपाई नहीं की जाती है, तो प्रतिवादियों की अपील खारिज कर दी जाएगी। मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. एस. तेवतिया,- मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा

[5] ए आई आर 1923 लाहौर 632